



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक - 105/12-1/54 मुनिकीरेती, दिनांक- 17/07/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड घनसाली में RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (Approx 35 Poles per Km.) From Sendul to Pipoladhar to Kaunti Village Kandi (Total length-17.500 Km.) हेतु अपेक्षित वन भूमि 0.525 हे० का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।(FP/UK/OFC/39465/2019)

सन्दर्भ :- आपके द्वारा ऑनलाईन इंगित कमियां दिनांक-03.07.2019 ।
महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में ऑनलाईन आपत्ति इंगित की गयी है कि “CF may clarify, whatever this RoW --right of way-- has approved under FC clearance at the time of construction” के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया है कि है कि प्रश्नगत परियोजना का निर्माण, प्रस्ताव के अनुसार पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु स्वीकृत RoW (right of way) के अन्तर्गत मोटर-मार्ग के किनारे-किनारे किया जाना प्रस्तावित है । उक्त परियोजना का निर्माण जिन मोटर मार्गों के किनारे किया जाना है, उन मोटर मार्गों को प्रदान की गई स्वीकृति एवं RoW (right of way) का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	स्वीकृति प्राप्त मोटर मार्ग का विवरण जिसके किनारे प्रश्नगत परियोजना का प्रस्तावित है				अभ्युक्ति
	मोटर-मार्ग का नाम	क्षेत्रफल (हे०)	स्वीकृति शासनादेश व दिनांक	स्वीकृति प्राप्त मार्गाधिकार की चौड़ाई (RoW) मी०	
1	2	3	4	5	6
1.	सेन्दुल-पटुडगांव मोटर मार्ग	2.364	587/7-1-2002-600(235), दिनांक-28.12.2002	9.00	विषयगत परियोजना का निर्माण स्वीकृत चौड़ाई-9.00 मीटर के अन्तर्गत ही मोटर मार्ग के किनारे किया जाना प्रस्तावित है।
2.	सेन्दुल-पटुडगांव मोटर मार्ग के कोन्ती पटुडगांव मोटर मार्ग	1.9845	एस०जी-147/X-1-09(08)2014, दिनांक-14.10.1997	9.00	

अतः प्रकरण पर सूचना/आख्या सादर प्रेषित।

भवदीय

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक

संख्या :- / , तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को उनके पत्रांक-132/12-1, दि०-16.02.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक